

राजस्थान सरकार







आयुक्तालय कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ1(04)पीएस/निकाशि/2018/पार्ट/97









दिनांक : 22-02-19

आदेश


राजस्थान लोक सेवा आयोग की अनुशंषा पर कनिष्ठ लिपिक संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, 2013 में चयनित (रिसफल/आरक्षित सूची में) निम्नलिखित अभ्यर्थियों को उनके सम्मुख अंकित महाविद्यालय/कार्यालय में कनिष्ठ सहायक के रिक्त पद पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थाई रूप से नियुक्त किया जाकर पदस्थापित किया जाता है :-

क्र.सं.	नाम एवं पता	श्रेणी	जन्म तिथि	मेरिट क्रमांक	अभ्यर्थी का फोटो	पदस्थापन का महाविद्यालय/कार्यालय
1	श्री दिनेश कुमार पुत्र श्री भारमल राम, ग्राम पोस्ट-करवाड़ा, तह0 रानीवाड़ा जिला-जालौर पिन-343040	OBC	13.10.1979	4112		राजकीय महाविद्यालय, रानीवाड़ा (जालौर)
2	श्री बनवारी लाल पुत्र श्री पांचा राम, ईशरवालों की ढाणियां, ग्राम पोस्ट-चेराई तह0 ओसिया जिला-जोधपुर पिन-342306	OBC	01.07.1995	4147		राजकीय महाविद्यालय, ओसिया (जोधपुर)
3	कुमारी नमीषा पुत्री श्री राकेश कुमार ग्रोवर, नियर अरोरवंश धर्मशाला के पास, मकान नं0 885, वार्ड नं0 17, संगरिया, हनुमानगढ़ पिन-335063	GE, WE	01.01.1996	5635		राजकीय महाविद्यालय, हनुमानगढ़
4	श्री नितेश दीक्षित पुत्र श्री संजीव दीक्षित, रतनलाल मोहता उ0प्रा0 विद्यालय के पास, वार्ड संख्या-26, रामबास, सादुलपुर तह0 राजगढ़ जिला-चुरु पिन-331023	GEN	26.05.1995	27		राजकीय महाविद्यालय, चुरु
5	श्री सौरभ कुमार गुप्ता पुत्र श्री महेश चन्द गुप्ता, बी-106, मोहन नगर, आर्य समाज के सामने, हिण्डौन सिटी जिला-करौली पिन-322230	GEN	13.11.1990	63		आयुक्तालय, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
6	श्री कुलदीप सिंह पुत्र श्री तने सिंह, ग्राम पोस्ट-रूपसी तह0 व जिला-जैसलमेर पिन-345001	GEN	01.01.1993	161		राजकीय महाविद्यालय, जैसलमेर



7	श्री पुष्पेन्द्र सिंह शेखावत पुत्र श्री बृजपाल सिंह शेखावत, ग्राम पोस्ट-भावठडी, तह0 सूरजगढ़ जिला-झुन्झुनू पिन-333029	GEN	22.03.1993	196		राजकीय कन्या महाविद्यालय, झुन्झुनू
8	श्री अविनाश कुमार शर्मा पुत्र श्री ओम प्रकाश शर्मा, गाँव- गाँवड़ी पोस्ट-पाटण तह0 रेणी जिला- अलवर पिन-301414	GEN	25.06.1989	307		राजकीय महाविद्यालय, बासकृपालनगर (अलवर)
9	श्री पवन कुमार पुत्र श्री राजपाल, ग्राम व पोस्ट-देईदासपुरा तह0 सूरजगढ़ जिला- श्रीगंगानगर पिन-335804	GEN	23.04.1993	369		राजकीय विधि महाविद्यालय, श्रीगंगानगर
10	श्री पवन देव पुत्र श्री कुनण राम तावणिया, ग्राम-सहजरासर, तह0 लूनकरनसर जिला-बीकानेर पिन-334602	GEN	23.11.1988	431		राजकीय महाविद्यालय, कोलायत
11	श्री आशीष कुमार शर्मा पुत्र श्री छगन लाल शर्मा, 29 रामनगर, एन.ई.बी. के पिछे, सरस्वती स्कूल के पास, अलवर पिन-301001	GEN	05.04.1992	629		राजकीय महाविद्यालय, मुण्डावर (अलवर)
12	श्री नन्द किशोर शर्मा पुत्र श्री सोहन लाल शर्मा, मु0 पो0 लालास, तह0 नांवा जिला- नागौर पिन-341509	GEN	14.07.1991	647		राजकीय महाविद्यालय, नागौर
13	श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री धनीराम, ग्राम-महाराजपुरा, पोस्ट- शाहबाद, तह0 तिजारा जिला- अलवर पिन-301411	OBC	12.07.1988	819		राजकीय महाविद्यालय, बानसूर
14	श्री गौरव सिंह पुत्र श्री लोकेन्द्र सिंह, सुभाष नगर, अशोक बिहार, निकट अशोक पार्क, भरतपुर पिन-321001	OBC	30.12.1990	932		राजकीय महाविद्यालय, नगर (भरतपुर)



15	श्रीमती सुमनलता सिंहल पुत्री श्री संतोष कुमार सिंहल, बॉकी माताजी के पिछे, राजबाग कॉलोनी, सवाईमाधोपुर (राज0) पिन-322201	GE, WE	05.01.1991	2441		राजकीय कन्या महाविद्यालय, सवाईमाधोपुर
----	---	-----------	------------	------	--	---

- उक्त अभ्यर्थियों को 02 वर्ष तक परिवीक्षा काल के लिए मासिक स्थिर परिलाभ रूपये 14600/- पर नियुक्ति प्रदान की जाती है।
- परिवीक्षा काल में इन्हें कोई वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य भत्ते देय नहीं होंगे, अर्थात् परिवीक्षा काल को वार्षिक वेतनवृद्धि के लिए नहीं गिना जावेगा।
- परिवीक्षा काल में स्थिर परिलाभों में से कोई कटौतियां यथा जी0पी0एफ तथा एस.आई. नहीं की जावेगी और इन्हें प्रतिनियुक्ति भत्ता एवं कार्यग्रहण करने पर यात्रा भत्ता आदि नहीं दिया जावेगा।
- दो वर्ष का परिवीक्षा काल सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर इन्हें वित्त विभाग के नोटिफिकेशन क्र0 एफ.15(1)एफडी /रूल्स/2017 दिनांक 30-10-17 की अनुसूची IV (नियम सं0 16) की क्रम सं0 5 में अंकित पे मेटिक्स लेबल नं0 5 (L-5) देय होगी।
- वित्त (नियम) विभाग के आदेश क्रमांक एफ13(1)एफडी/रूल्स/2003 दिनांक 29.01.04 के अनुसार इनकी नियुक्ति पर **पेंशन नियम के स्थान पर अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।**
- उक्त अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर कार्मिक विभाग द्वारा समय-समय पर जारी संतान संबंधी प्रावधान लागू होंगे।
- उक्त अभ्यर्थियों की नियुक्ति वित्त (नियम)विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ1(2)एफडी/रूल्स/06 दिनांक 13.03.06, एफ12(6)एफडी/रूल्स/2005 दिनांक 13.03.06, एफ13(1)एफडी/रूल्स/2003 दिनांक 13.03.06, एफ6(6)एफडी/रूल्स/2005 दिनांक 13.03.06, एफ16 (2) एफडी/रूल्स/98 दिनांक 13.03.06 एवं एफ14(1)एफडी/रूल्स/2009 दिनांक 12.10.09 एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य संबंधित परिपत्रों के अधीन होगी।
- यह नियुक्ति अधीक्षक, चिकित्सालय अनुलग्न मेडिकल, कॉलेज/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ15(1)डीओपी/ए-11/74 दिनांक 01.01.75 द्वारा प्रसारित निर्देशों के अनुसार स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही मान्य होगी।
- उपरोक्त अभ्यर्थियों की चरित्र सत्यापन रिपोर्ट भिजवाने हेतु संबंधित जिला पुलिस अधीक्षकों को पत्र प्रेषित किये जा चुके हैं, इनकी चरित्र सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होने पर संबंधित प्राचार्य को भिजवा दी जावेगी। **यह नियुक्ति चरित्र सत्यापन रिपोर्ट के अध्यधीन है।**
- यह नियुक्ति डी.बी. अपिल संख्या 965/17 राजस्थान लोक सेवा आयोग बनाम श्रवण सिंह में पारित आदेश दिनांक 03.11.17 व डी.बी. स्पेशल रिट संख्या 18/18 आयोग बनाम दिनेश कुमार महावर में दिनांक 05.03.18 को पारित निर्णय की पालना में दिनांक 28.04.18 को घोषित परिणाम तथा एस.बी.सी. रिट पिटिशन संख्या 11497/17 धारा सिंह गुर्जर व अन्य बनाम राजस्थान लोक सेवा आयोग में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 19.07.17 एवं अन्य याचिकाओं/अपीलों के अन्तिम निर्णय के अध्यधीन रहेगी।
- उपरोक्त अभ्यर्थियों को आदेश जारी होने से 15 दिवस के भीतर आवश्यक रूप से अपने पद का कार्यभार ग्रहण कर लेना चाहिए, अन्यथा इनकी नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जावेगी। उक्त तिथि के पश्चात् अधोहस्ताक्षरकर्ता की अनुमति के बिना कार्यग्रहण नहीं करने दिया जाएगा।



(प्रदीप कुमार बोरड)

आयुक्त

कॉलेज शिक्षा एवं विशिष्ट शासन सचिव,  
उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक: एफ1(4) पीएस/निकाशि/2018/पार्ट/97


दिनांक : 22-2-19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- संयुक्त शासन सचिव, प्रशा0 सुधार (अनु-3) विभाग, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक प. 1(6)प्र.सु./अनु-3/2017 दिनांक 14.02.19 के संदर्भ में।
- सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
- निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
- संयुक्त निदेशक(एच.आर.डी.), आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर/संबंधित प्राचार्य - कृपया संबंधित अभ्यर्थी को स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर तथा उनके द्वारा जन्मतिथि, शैक्षणिक योग्यता, जाति, विवाह एवं सन्तान आदि के मूल कागजात पेश करने पर नियुक्ति संबंधी मूल आवेदन पत्र के साथ लगे कागजातों की प्रतियों का मिलान करके ही कार्यभार ग्रहण करने दिया जावे। इनका मूल आवेदन पत्र मय संलग्नकों के संलग्न किया जा रहा है (एक सेट- पृष्ठ)।



- 5 संबंधित अभ्यर्थी -कृपया कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अधीक्षक, चिकित्सालय मेडीकल कॉलेज/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राप्त कर संयुक्त निदेशक (एच.आर.डी.)/संबंधित प्राचार्य को प्रस्तुत करें तथा नियुक्ति संबंधी मूल आवेदन पत्र के साथ लगाये गये जन्मतिथि, शैक्षणिक योग्यता, जाति आदि के कागजातो की प्रतियों का मिलान करने हेतु मूल कागजात साथ लेकर जावें।
- 6 स्थापना शाखा/रोकड़ शाखा /गोपनीय शाखा/रक्षित पत्रावली।
7. प्रभारी अधिकारी विभागीय वेबसाईट- आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।



संयुक्त निदेशक(प्रशासन)  
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान  
जयपुर